

F27(39) NRHM/MMJRK/Circular/09/5091

दिनांक : 21/11/09

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,  
समस्त मेडिकल कॉलेज .....

अधीक्षक,  
समस्त संबद्ध चिकित्सालय .....

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त .....

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
समस्त जिला चिकित्सालय .....

**विषय:- बीपीएल परिवार के सदस्य एवं अन्य के स्वाइन फ्लू एच1एन1 से पीड़ित होने पर इलाज व खर्चा वहन बाबत दिशा निर्देश।**

राज्य में स्वाइन फ्लू एच1एन1 से पीड़ित बीपीएल परिवार के मरीज को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने हेतु दवा, जाँच व अन्य समस्त इलाज संबंधी व्यय संबंधित चिकित्सा संस्थान की एमआरएस द्वारा वहन किया जायेगा। इसमें एमआरएस के माध्यम से निजी केन्द्रों पर जाँच करवाने में होने वाला व्यय भी शामिल है।

इलाज पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण संबंधित चिकित्सा संस्थान की एमआरएस को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

बीपीएल एवं अन्य परिवार के मरीजों के स्वाइन फ्लू एच1एन1 के इलाज के दौरान उपयोग में आने वाली सामग्री/उपकरणों के रख-रखाव पर होने वाले खर्च का वहन संबंधित चिकित्सा संस्थान की एमआरएस उन्हें आवंटित अनटाइड, वार्षिक रख-रखाव एवं एमआरएस फण्ड में से कर सकेगी। इस हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर एनआरएचएम से मांग पर व्यवस्था की जा सकेगी।

(जी.एस. संघ)

प्रमुख शासन सचिव

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदेश की प्रतिलिपी उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम।
6. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाने का श्रम करावें।

मिशन निदेशक  
एनआरएचएम